दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग–2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 25 नवम्बर, 2011 / मार्गशीर्ष 04, 1933 (शक)

संख्या–**140**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के आठवें सत्र के दूसरे भाग का प्रारंभ

माननीय सदस्यों के सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के **आठवें सत्र का दूसरा भाग बुधवार दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को अपराहन 2.00 बजे से विधान सभा सभागार पुराना सचिवालय दिल्ली में प्रारंभ होगा।**

आठवें सत्र के दूसरे भाग के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आवंटनः

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 30 नवम्बर और 01 दिसम्बर 2011 के लिए निर्धारित की गई हैं।

विधान सभा की बैठकों का समयः

विधान सभा की बैठकें अपराहन 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे, उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

प्रश्नकाल नहीं होगाः

आठवें सत्र के दूसरे भाग की बैठकों के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

आठवें सत्र के दूसरे भाग की बैठकों में विशेष उल्लेख के मामले नहीं उठाए जायेंगें।

सूचना कार्यालय

माननीय सदस्यों के सूचना दी जाती है कि सूचना कार्यालय कमरा नं. 46 में स्थित है।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्रः

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी करने के आवेदन पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किए जाएं। उदाहरणार्थ 30.11.2011 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात 29.11.2011 को अपराहन 5.00 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के लिए दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिए आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जाएगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किए जाएंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश–पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किए जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में व भली भांति जानते हैं।

टिप्पणीः

कृपया मोबाइल, टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें।
यदि किसी कारणवश ले आये है तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रखें।

पी.एन.मिश्रा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
BULLETIN PART-II
(General information regarding to legislative & other matters)
Friday 25th November, 2011/04 Margshirsha 1933 (Saka)

No:-140

1.**CONVENING OF THE SECOND PART OF EIGHTH SESSION OF THE FOURTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:**

Hon'ble Members are informed that the sitting of the second part of Eighth Session of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Wednesday, the 30th November, 2011 at 2.00 P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

2. **ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING SECOND PART OF EIGHTH SESSION:**

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 30th November, 2011 & 1st December, 2011.

3. **TIMES OF SITTINGS:**

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. on 30th November, 2011 and continue till it is adjourned for the day.

4. **NO QUESTION HOUR:**

There shall be no Question Hour during the Session.

5. **NO SPECIAL MENTION (RULE 280):**

There shall be no Special Mention during the Session.

6. **NOTICE OFFICE:**

Members are informed that the NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46 of this Assembly.

7. **VISITORS GALLERY:**

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 30.11.2011 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e., 29.11.2011.

Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting.

No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Hon'ble Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - CELLULAR PHONE, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC. MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

P.N.Mishra
Secretary